न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 424/2015

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. भीखाराम पुत्र खींयाराम के कायम मुकाम 1/1 देवाराम पुत्र भीखाराम 1/2 जोगाराम पुत्र भीखाराम 2. लाधुराम पुत्र खियाराम जाति विश्नोई निवासी खारकी बेरी तहसील धोरीमन्ना		1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

तारीख रजू:– 16.10.2015

अधिवक्ता:–

01. श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता वादीगण
02. सरकार पैराकार तहसीलदार धोरीमना

दिनांक:– 23.07.2024

–: : निर्णय : :–

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल द्वारा राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 88, 188 काश्तकारी अधिनियम वास्ते घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा खारकी बेरी पटवार मण्डल लुखू तहसील धोरीमन्ना में वादी के पैतृक व पीढ़ियों के कब्जे काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 377 रकबा 34.10 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर वादी का विगत 50–60 वर्षो से निर्बाध रूप से कब्जाकाश्त चला आ रहा है, जिसमें वादी के रहवास की पक्की ढाणी, पानी के टांके व पशुओं के बाड़े बने हुए है। वर्तमान जमाबन्दी की प्रति साथ पेश है। वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट के समय वादी के पिता खींया का कब्जाकाश्त था तथा भू पैमाईश के समय वादी के पिता चैनमेन व पैमाईश का खर्चा वहन किया गया था, परन्तु उक्त भूमि एक धोरे नुमा होने के करण सेन्टलमेन्ट अधिकारियों ने पर्चा, लगान व दस्तावेजों का संधारण करते समय भूलवंश उक्त भूमि वादी के पिता खींया के नाम से [illegible] गैर मुमकिन धोरे के रूप में दर्ज कर दी गई जबकि उक्त भूमि वादी के पैतृक [illegible] कब्जेकाश्त की भूमि है। जिस पर पहले वादी के पिता खींया का तथा उसके बाद वादी का निर्बाध रूप से कब्जाकश्त चला आ रहा है। मात्र सेन्टलमेन्ट अधिकारियों का भूल से ही उक्त

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested

भूमि खींया की खातेदारी में दर्ज न कर गैर मुमकिन धोरे के रूप में दर्ज कर दी है। वादगस्त भूमि पर पहले वादी के पिता खींया का कब्जाकाश्त होने व बाद में वादी का कब्जाकाश्त होने बाबत् गिरदावरी रिपोर्ट से साबित है। खसरा परिवर्तित निर्धारण एवं गैर मुस्तकिल जमाबन्दी संवत् 2068 में उक्त भूमि पर वादी का कब्जाकश्त होना दर्ज किया गया है तथा इस जमाबन्दी में वादी कई वर्षो से कब्जा होना भी अंकित किया गया है। जिससे भी साबित है कि वादग्रस्त भूमि वादी के पैतृक व पुश्तैनी कब्जेकाश्त की भूमि है। जिस पर वादी का निर्बाध रूप से कब्जाकश्त चला आ रहा है।

वादी व उनके पिता को पूर्व में वादग्रस्त भूमि उनके नाम से दर्ज नही होने की जानकारी नहीं थी, परन्तु वर्ष 2010 में वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर ऋण प्राप्त करने हेतु हल्का पटवारी से वर्तमान जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की तो वादी को सर्वप्रथम जानकारी हुई। जिस पर वादी ने वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी में दर्जै व आंवटन करने हेतु आवेदन श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस आवेदन में हल्का पटवारी व आर.आई. द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि वादग्रस्त भूमि पर पहले वादी के पिता खींया पुत्र दौला का कब्जाकश्त तथा उसके बाद वादी कब्जाकाश्त संवत् 2035 से लगातार होना बताया गया है, जिस पर भूमि वादी का कब्जाकाश्त होना हल्का पटवारी व आर.आई. ने मानकर उक्त भूमि वादी को आंवटित करने की अभिशंषा की गई, जिस पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी ने उक्त भूमि वादी को आंवटन करने का आश्वासन भी दिया गया था, इसलिए वादी ने विश्वास कर लिया। जिससे भी साबित है कि उक्त भूमि वादी के कब्जेकाश्त की भूमि है। जिस पर वादी व उसके पिता खींया का वक्त सेन्टलमेन्ट से लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जाकश्त विगत 50 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है, जिस कारण भी एडवर्स पेजेशन के आधार पर भी वादी का वादग्रस्त भूमि में हक हकुक निहित हो चुके है। परन्तु वर्तमान में अरसा 02 माह पूर्व हल्का पटवारी ने मौके पर आकर वादग्रस्त भूमि से वादी को कब्जा हटाने का कहा तो वादी ने कहा कि यह भूमि मेरे पैतृक कब्जेकाश्त की भूमि है तथा मैं भूमिहीन कृषक हूँ। जिस हेतु मैने उक्त भूमि मुझे आवंटित करने हेतु आवेदन भी पेश कर रखा है। जिस पर वादी ने उपखण्ड कार्यालय गुड़ामालानी में जाकर पता किया तो वादी को जानकारी हुई कि उक्त भूमि अभी तक वादी को आवंटित नहीं की गई, जिस पर वादी ने लोक अदालत 2015 में प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज करवाने का निवेदन किया गया परन्तु वादी के निवेदन पर कोई गौर नहीं किया गया। जिस पर वादी को यह वाद पेश करने की आवश्यकता पड़ी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

वादीगस्त भूमि पर पहले वादी के पिता खींया का कब्जाकाश्त था तथा खींया के फौत होने के बाद वादी निर्बाध रूप से विगत 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो राजस्व दस्तावेजों से भलीभांती साबित है, साथ ही वादग्रस्त भूमि पर वादी का लगातार कब्जाकाश्त होने से एडवर्स पेजेशन के आधार पर भी वादीगण का वादग्रस्त भूमि में हक हिस्सा निहित हो चुका है तथा वादी के पास काश्त हेतु वादग्रस्त भूमि के अलावा कोई भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी अपने विधि सम्मत कब्जाकाश्त के अनुसार वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। जिस हेतु यह वाद श्रीमान् जी के समक्ष पेश है।

वर्तमान में भूमि की कीमतों में बढोतरी होने तथा वादी का नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व दस्तावेजों में अंकित न होने के कारण प्रतिवादी व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादी को बलपूर्वक बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि वादी के पास उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के अलावा कोई भूमि भारतवर्ष में नही है तथा वादी को वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल करने पर वादी के हितों पर भारी कुठाराघात होगा तथा वादी बेघर हो जायेगा जबकि वादग्रस्त भूमि वादी की पीढ़ियों की पैतृक व पुश्तैनी कब्जेकाश्त की भूमि है। जिस करण वादी के वादग्रस्त भूमि में अधिकार निहित हो चुके है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को जबरन बलपूर्वक वादी को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है जिस हेतु वाद पेश है।

बिनायदावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी जब वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेन्टलमेन्ट के समय वादी के पिता का कब्जाकाश्त होने के बावजूद भी वादी के पिता के नाम दर्ज न कर गैर मुमकिन धोरे के रूप में भूलवंश दर्ज की गई तब व तत्पश्चात् वर्ष 2010 में पटवारी द्वारा वादी को बेदंखल करने की कोशिश करने पर वादी ने उक्त भूमि आंवटन करने हेतु आवेदन उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के समक्ष पेश किया, तब व वर्तमान में वादी को पुनः हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त भूमि से बलपूर्वक जबरन बेदंखल करने की धमकियां दी गई तब बमुकाम खारकी बेरी पटवार क्षेत्र लुखू तहसील धोरीमन्ना में पैदा हुआ।

वादी द्वारा वाद राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार, धोरीमन्ना के विरूद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस कारण वादी को वाद पेश करने से पूर्व तहसीलदार को धारा 80 सीपीसी का दो माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादी का वाद अति आवश्यक प्रकृति का है क्योंकि प्रतिवादी व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादी को जबरन बेदंखल करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी स्थिति में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

द्वारा दो माह का विधिक नोटिस देकर इन्तजार किया जाता है तो वादी को इस अवधि में जबरन बेदंखल कर दिया जायेगा, जिससे वादी के हितों पर भारी कुठाराघात होगा तथा वादी के वाद का उद्धेश्य ही समाप्त हो जायेगा ऐसी स्थिति में बिना विधिक नोटिस दिये ही वाद की आवश्यक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए यह वाद पेश किया जा रहा है जिसकी अनुमति हेतु अलग से धारा 80 (2) सीपीसी का अवेदन पेश किया जा रहा है।

वादग्रस्त भूमि मौजा खारकी बेरी पटवार क्षेत्र लुखू तहसील धोरीमन्ना में खसरा नम्बर 377 रकबा 34.10 बीघा पर वादी के प्रतिकुल कब्जे व एडवर्स पेजेशन के आधार पर वादी की खातेदारी में घोषित की जावे। स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी को पांबदित किया जावें कि प्रतिवादी वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दंखल अन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करे तथा न ही वादी को जबरन बेदंखल करने का प्रयास करे। का वाद पेश किया।

वाद रजिस्टर दर्ज कर प्रतिवादी राज्य सरकार को तलबी करवाई।

वाद में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना ने जबाब नहीं देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया कि वाद में वादकरण उत्पन्न होने, वाद विधि विरूद्ध से खारीज योग्य हैं। वादी द्वारा कोई सवत् 2008 से लगाकर आज तक कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं इसलिए वाद खारीज योग्य हैं। न्यायालय व सरकार का समय जाया करने के लिए वाद पेश किया है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी तथा राज्य सकार के पैरोकार तहसीलदार धोरीमना की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया।

1. **वाद हेतुक (वाद कारण) –** वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 09 में बिनायदावा /वाद हेतुक/ वाद कारण बताया गया '' **बिनायदावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी जब वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेन्टलमेन्ट के समय वादी के पिता का कब्जाकाश्त होने के बावजूद भी वादी के पिता के नाम दर्ज न कर गैर मुमकिन धोरे के रूप में भूलवंश दर्ज की गई तब व तत्पश्चात् वर्ष 2010 में पटवारी द्वारा वादी को बेदंखल करने की कोशिश करने पर वादी ने उक्त भूमि आंवटन करने हेतु आवेदन उपखण्ड अधिकारी [illegible] तब व वर्तमान में वादी को पुनः हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त भूमि [illegible] जबरन बेदंखल करने की धमकियां दी गई तब बमुकाम खारकी बेरी पटवार क्षेत्र लुखू तहसील धोरीमन्ना में पैदा हुआ।** '' का वर्णित किया गया है [illegible] लेकिन वादी द्वारा कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे कि वादी सेन्टलमेन्ट से खातेदार था। वादी ने सेन्टलमेन्ट से 12 वर्ष तक वाद पेश नहीं किया है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं कि वादी को वाद हेतुक गलत अंकन किया है। वर्ष 2010 को पटवारी द्वारा वादी को बेदखन करने के कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है इसलिए वादी को हस्तगत वाद लाने के लिए हेतुक प्रकट नहीं होता है, वाद चलने योग्य नहीं है।

2. **वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, – विधि व कानून का अध्ययन– राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 1 (3) के अनुसार अधिनियम की प्रारम्भ का दिनांक – राज्य सरकार ने अधिसूचना प्रसारित कर अधिनियम को 15 अक्टूम्बर 1955 से प्रवृत किया है। जबकि सेन्टलमेन्ट सवत् 2008 से शुरू हुआ हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 दिनांक 15 अक्टूम्बर 1955 से लागू हुई। वादी की इस्तदुआ सेन्टलेन्ट से नाम नहीं है।**

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं कि **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 दिनांक 15 अक्टूम्बर 1955 से लागू हुआ वाद ने सेटलमेन्ट से इस्तदुआ की मांग रहा है इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित हैं, वाद हाजा न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है,** वाद चलने योग्य नहीं है।

3. **वादग्रस्त आराजी का कब्जा –** वादग्रस्त आराजी में सेन्टलमेन्ट व उसके काद से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए वादी का कब्जा नहीं है। **वाद पत्र सन् 16.10.2015 को पेश किया गया है। वादी का 12 वर्ष से अधिक समय होने से कब्जा नहीं होने से खातेदार व काश्तकार नहीं बन सकते है।**

उपर्युक्त विवेचन के आलोक से स्पष्ट हैं **कि वादी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे के अभाव में हस्तगत वाद** हाजा **न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।**

उपर्युक्त समग्र विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल लूखू के राजस्व ग्राम खारकी बेरी के खसरा संख्या 377 रकबा 34–10 बीघा में 1. वादी को वाद हेतुक गलत अंकन किया **है। वर्ष 2010 को पटवारी द्वारा वादी को बेदखल करने के कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है इसलिए वादी को हस्तगत वाद लाने के लिए हेतुक प्रकट नहीं होता है, वाद चलने योग्य नहीं है। 2. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 दिनांक 15 अक्टूम्बर 1955 से लागू हुआ वाद में वादी ने सेटलमेन्ट से इस्तदुआ की मांग रहा है इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित हैं, वाद हाजा न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के क्षैत्र में नहीं आता है,** वाद चलने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

योग्य नहीं है। **3. वादी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे के अभाव में** हस्तगत वाद हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है इसलिए वादी का वाद घोषणा का सारहीन, निराधार तथ्यों के आधार पर आधारित होने से स्वीकार करने योग्य नहीं **समझते हैं तथा वाद पत्र खारीज करना विधिसंगत व उचित समझते है। तद् अनुसार डिक्री पर्चा जारी करना उचित व विधिसंगत समझते है। तथा वादी वादग्रस्त आराजी को आवटंन कराने के लिए आवंटन सलाहकार समिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंन्त्र है।**

—: : आदेश : :—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः **कि वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल लूखू के राजस्व ग्राम खारकी बेरी के खसरा संख्या 377 रकबा 34—10 बीघा में 1.** वादी को वाद हेतुक गलत अंकन किया है। वर्ष 2010 को पटवारी द्वारा वादी को बेदखन करने के कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है इसलिए वादी को हस्तगत वाद लाने के लिए हेतुक प्रकट नहीं होता है, वाद चलने योग्य नहीं है। 2. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 दिनांक 15 अक्टूम्बर 1955 से लागू हुआ वाद में वादी सेटलमेन्ट से इस्तदुआ की मांग रहा है इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित हैं, वाद हाजा न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के क्षैत्र में नहीं आता है, वाद चलने योग्य नहीं है। **3.** वादी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे के अभाव में हस्तगत वाद हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है इसलिए वादी का वाद घोषणा का सारहीन, निराधार तथ्यों के आधार पर आधारित होने से स्वीकार करने योग्य नहीं **समझते हैं तथा वाद पत्र खारीज करना विधिसंगत व उचित समझते है। तद् अनुसार डिक्री पर्चा जारी करना उचित व विधिसंगत समझते है। तथा वादी वादग्रस्त आराजी को आवटंन कराने के लिए आवंटन सलाहकार समिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंन्त्र है।** डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला—बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक—23.07.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला—बाड़मेर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना
बईजलास :– श्री धीरेन्द्रसिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. भीखाराम पुत्र खींयाराम के कायम मुकाम 1/1 देवाराम पुत्र भीखाराम 1/2 जोगाराम पुत्र भीखाराम 2. लाधुराम पुत्र खियाराम जाति विश्नोई निवासी खारकी बेरी तहसील धोरीमन्ना		1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।

मुकदमा नम्बर :– 54/2023

दावा बाबत् :– राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92क, 188 रा0 का0 अधि0 एवं धारा 06 एवं 08 हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम वास्ते घोषणा एवं निषेधाज्ञा

अधिवक्तागणः–

1. **श्री रामनिवास विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 03 ता 06**
2. **श्री हापूराम विश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीनीगण**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू, अधिवक्ता वादीनी मिनजानिब मुदई एवं मिनजानिब मुद्धायलह प्रतिवादी गण पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि वादग्रस्त आराजी पटवार मण्डल लूखू के राजस्व ग्राम खारकी बेरी के खसरा संख्या 377 रकबा 34–10 बीघा में 1.** वादी को वाद हेतुक गलत अंकन किया है। वर्ष 2010 को पटवारी द्वारा वादी को बेदखन करने के कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है इसलिए वादी को हस्तगत वाद लाने के लिए हेतुक प्रकट नहीं होता है, वाद चलने योग्य नहीं है। 2. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 दिनांक 15 अक्टूम्बर 1955 से लागू हुआ वाद में वादी सेटलमेन्ट से इस्तदुआ की मांग रहा है इसलिए वाद विधि द्वारा वर्जित हैं, वाद हाजा न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार के क्षैत्र में नहीं आता है, वाद चलने योग्य नहीं है। **3. वादी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, कब्जे के अभाव में हस्तगत** वाद हाजा न्यायालय में चलने योग्य नहीं है इसलिए वा[illegible] वाद घोषणा का सारहीन, निराधार तथ्यों के आधार पर आधारित होने [illegible] स्वीकार करने योग्य नहीं **समझते हैं तथा वाद पत्र खारीज करना विधिसंगत व उचित [illegible] है। तद् अनुसार डिक्री पर्चा जारी करना उचित व विधिसंगत समझते है। तथा [illegible]दी वादग्रस्त आराजी को आवटंन कराने के लिए आवंटन सलाहकार समिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

लिए स्वतंन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

नीज..............–...............मुबलिक...................–.............बाबत्........–.........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....–........फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–............को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **23.07.2024** को सरे ईजलास जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:19:59 IST
Reason: SelfAttested